City of Santa Clara
The Center of What's Possible

सांता क्लारा 3 मार्च 2020 विशेष चुनाव

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ***SantaClaraCA.gov/Elections*** *पर जाएं*

विधेयक C के बारे में तथ्य

विधेयक C मतपत्र का सवाल	
जिला काउंसिल चुनाव। क्या मेयर को छोड़कर जिले के आधार पर सिटी काउंसिल सदस्यों के चुनाव के लिए सिटी चार्टर में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा: 2020 के चुनाव के लिए प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक काउंसिल सदस्य के चुनाव के लिए छह जिलों की स्थापना करना; और, 2022 से शुरू करके, प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो काउंसिल सदस्यों के चुनाव हेतु तीन जिलों की स्थापना करना; और एक स्वतंत्र पुनःजिला-निर्माण समिति को आवश्यक बनाना?	**हां**
	नहीं

सवाल: विधेयक C क्या है?

उत्तर: विधेयक C सिटी चार्टर में संशोधन के लिए एक मतपत्र विधेयक है जिसमें जिले के आधार पर काउंसिल सदस्यों का चुनाव किया जाना है।

सवाल: विधेयक C क्या करता है?

उत्तर: यदि विधेयक C अनुमोदित होता है, तो सांता क्लारा के निवासी:

- सिटी काउंसिल सदस्यों को जिले के आधार पर चुनेंगे;
- 2020 के चुनाव के लिए छह जिले स्थापित करेंगे, जिनमें प्रत्येक काउंसिल सदस्य प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करेगा (नवंबर 2020 के मतपत्र पर काउंसिल जिला 1, 4, 5 और 6 होंगे);
- 2022 और उसके बाद के लिए तीन जिले स्थापित करेंगे, जिनमें दो काउंसिल सदस्य प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सवाल: एक "हां" वाला मत क्या करेगा?

उत्तर: एक "हां" वाला मत सिटी चार्टर में काउंसिल जिला चुनावों को स्थापित करेगा। ऐसे तीन जिले होंगे जिनमें से प्रत्येक जिले में मतदाताओं द्वारा दो काउंसिल सदस्य चुने जाएंगे।

सवाल: एक "नहीं" वाला मत क्या करेगा?

उत्तर: एक "नहीं" वाला मत मौजूदा सिटी चार्टर प्रावधानों को जस का तस छोड़ देगा, जिनके तहत आवश्यक है कि सभी सिटी काउंसिल सदस्य स्वतंत्र रूप से सीट नंबर के आधार पर चुने जाएं।

City of Santa Clara
The Center of What's Possible

PRSRT STD
अमेरिकी डाक शुल्क
प्रदत्त
परमिट 92
Santa Clara, CA

City of Santa Clara
1500 Warburton Avenue
Santa Clara, CA 95050

विधेयक C

सिटी अटॉर्नी का निष्पक्ष विश्लेषण

मतदाताओं द्वारा 3 मार्च 2020 को अनुमोदित किए जाने पर, यह मतपत्र विधेयक मौजूदा सांता क्लारा सिटी चार्टर के अनुच्छेद 600 और 700.1 को संशोधित करेगा, और एक नया अनुच्छेद 700.2 जोड़ेगा, जो काउंसिल सदस्यों के चुनाव के लिए जिले के आधार पर चुनाव की प्रणाली स्थापित करेगा। मतदाता उन्हीं उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकेंगे जो उनके निवास वाले काउंसिल जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। मेयर, सिटी क्लर्क और पुलिस चीफ पहले की तरह ही स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होते रहेंगे।

कैलिफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमे के बाद, सांता क्लारा काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके तहत सिटी के लिए न्यायालय-आदेशित छह-जिला मानचित्र के अंतर्गत 2018 और 2020 दोनों चुनावों के लिए एकल-सदस्यीय जिला चुनावों को आयोजित करना आवश्यक बनाया गया। सांता क्लारा सिटी का चार्टर फिलहाल मतदाताओं को अधिकार देता है कि वे संपूर्ण सिटी के लिए स्वतंत्र रूप से काउंसिल सदस्यों का चुनाव करें। प्रत्येक उम्मीदवार को उस संख्या वाली सीट का नाम देना होगा जिसके लिए वह चुनाव लड़ रहा है। अनुमोदित किए जाने पर, मतपत्र विधेयक सिटी चार्टर को यह आवश्यक बनाने के लिए संशोधित करेगा कि 2020 का चुनाव जिले 1, 4, 5 और 6 में चार खुले काउंसिल पदों के लिए आयोजित किया जाएगा जो कि न्यायालय-आदेशित छह-जिला मानचित्र पर प्रदर्शित हैं।

चार्टर संशोधन इसके आगे इस बात को भी आवश्यक बनाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 2020 की जनगणना के बाद तीन ऐसे काउंसिल जिले बनाने के लिए काउंसिल जिले की सीमाओं के अंकन हेतु एक स्वतंत्र जिला-निर्माण समिति को नियुक्त करेगी जिनका प्रतिनिधित्व दो काउंसिल सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।

चार्टर के संशोधन में यह सुनिश्चित करने के लिए एक संक्रमण योजना भी है कि सभी मतदाता प्रत्येक चुनाव में एक काउंसिल सदस्य का चुनाव करने में सक्षम हों। संक्रमण योजना निम्नानुसार संचालित होगी:

- 8 नवंबर 2022 के चुनाव में, उन दो काउंसिल जिलों में जहां एक खुली सीट है, प्रत्येक मतदाता एक काउंसिल सदस्य को 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित करेगा।
- 5 नवंबर 2024 के चुनाव में, उन दो काउंसिल जिलों में जहां एक खुली सीट है, प्रत्येक मतदाता एक काउंसिल सदस्य को 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित करेगा और उस काउंसिल जिले में जहाँ दो खुली सीटें हैं, वहाँ के मतदाता दो काउंसिल सदस्यों को निर्वाचित करेंगे: एक 4 साल के कार्यकाल के लिए और एक 2 साल के कार्यकाल के लिए। उस जिले में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाएगा; और दूसरे सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को 2 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाएगा।
- 2026 के चुनाव से शुरू होकर, और उसके बाद के प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक काउंसिल सदस्य का कार्यकाल 4 साल का होगा।

अनुमोदित किए जाने पर, मतपत्र विधेयक चार्टर को इस तरह से भी संशोधित करेगा कि सभी उम्मीदवारों के लिए सिटी के निर्वाचित पदों के लिए 30 दिन का निवासी होना आवश्यक होगा, और उम्मीदवार को दिखाना होगा कि उसने सिटी में निवास किया है, और काउंसिल सदस्य के मामले में, उम्मीदवारी दाखिल करने की अंतिम तिथि से कम से कम 30 दिनों के लिए जिले में निवास किया है।

एक "हां" वाला मत सिटी चार्टर में काउंसिल जिला चुनावों को स्थापित करेगा। ऐसे तीन जिले होंगे जिनमें से प्रत्येक जिले में मतदाताओं द्वारा दो काउंसिल सदस्य चुने जाएंगे।

एक "नहीं" वाला मत मौजूदा सिटी चार्टर प्रावधानों को जस का तस छोड़ देगा, जिनके तहत आवश्यक है कि सभी सिटी काउंसिल सदस्य स्वतंत्र रूप से सीट नंबर के आधार पर चुने जाएं।

ब्रायन डॉयले
सिटी अटॉर्नी